माओवादी हिंसा को ठुकराओ

हालिया दौर में विस्तृत क्षेत्र में माओवादी हिंसा तथा केन्द्र सरकार द्वारा ''आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे'' के रूप में उसके चरित्रांकन ने वामपंथी अतिवाद के मुद्दे को ध्यान के केंद्र में ला दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2004–2008 के मध्य नक्सली हिंसा की 7806 घटनाओं में 3338 व्यक्ति मारे गये। 2009 के अगस्त माह तक 11 राज्यों में हुई 1405 घटनाओं में 580 व्यक्ति मारे गये। केन्द्र सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित सरकारों के साथ मिलकर माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु सशस्त्र कार्यवाही आरम्भ करने की घोषणा की है। जहां अतिवादी हिंसा का सामना करने के लिए दृढ़ प्रशासनिक कदमों की जरूरत है, वहीं माओवादी हिंसा के प्रति मात्र सुरक्षा केन्द्रित उपाय समस्या का अंत करने में असफल रहेगा। माओवादियों का वैचारिक तौर पर सामना करने की तथा राजनीतिक तौर पर उनका पर्दाफाश करने तथा उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल में, विशेषकर पश्चिम मिदनापुर जिले में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता तथा समर्थक ठीक इसीलिए माओवादियों के निशाने पर हैं कि माओवादियों के विरुद्ध वैचारिक राजनीतिक लड़ाई में सीपीआई (एम) अग्रिम पंक्ति में है। पिछले वर्ष बंगाल में शहीद हुए माकपा के 130 सदस्यों तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं में से आधे से अधिक माओवादी हिंसा के शिकार हुए हैं।

लालगढ़ तथा पश्चिम बंगाल का अनुभव

पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी का इलाका देश में उग्र वाम आंदोलन का पालना रहा है। किन्तु इसके साथ ही 1970 के दशक से लंबे समय के लिए अति–वामपंथ को विलीन होते हुए भी पश्चिम बंगाल ने देखा। इसके अनेक कारण थे। यह आंदोलन वैचारिक संभ्रम के दिवालियेपन पर आधारित था।

इसका परिणाम उसके विखंडित होने के रूप में निकला। अस्पष्ट ढांचे तथा मजदूर वर्ग–विरोधी विचारों, जो नक्सलवादी आंदोलन का आधार ही थे, का प्रभाव उसके संगठन पर पड़ना ही था। शासक दल के बाहरी तत्वों ने आंदोलन में घुसपैठ कर ली तथा वह सीपीआई (एम) और संगठित वामपंथ पर हमला करने का मुख्य यंत्र बन गया। अधःपतन इतना सम्पूर्ण था कि इस आंदोलन के समक्ष गुमनामी में विलीन होने के अलावा अन्य कोई मार्ग न था। फिर भी नक्सलियों को अलग थलग करने में जो निर्णायक सिद्ध हुआ वह संगठित वाम के नेतृत्व में चलाया गया व्यापक एवं सफल भूमि सुधार था। इस प्रक्रिया को वाममोर्चा सरकार के सत्ता में आने पर कानूनी रूप प्राप्त हुआ। इस तरह सामाजिक–आर्थिक विकास तथा सीपीआई (एम) तथा संगठित वाम के वैचारिक राजनीतिक हस्तक्षेप ने, पश्चिम बंगाल में वह स्थिति पैदा की जो पिछले तीन दशक तक बनी रही। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का वर्तमान गृहमंत्री अति–वाम की चुनौती का सामना करने में, संगठित वाम के संघर्ष व बलिदान के इस इतिहास से बेखबर है।

माओवादी गतिविधियों का प्रथम चरण लालगढ़ तथा झारखंड सीमा से सटे हुए पश्चिम मिदनापुर जिले के दिनपुरवन ब्लाक के लालगढ़ से लगते क्षेत्र में आरम्भ हुआ। गत तीन वर्षों में हथियारबंद गिरोहों के द्वारा माकपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमलों के साथ इस इलाके में हिंसा की अलग अलग घटनायें होती रही हैं। ये गिरोह झारखंड से आते थे। जब नंदीग्राम का हादसा हुआ तो उसमें माओवादियों की उपस्थिति का संदेह प्रकट किया गया था। अब माओवादी नेताओं ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है कि वे नंदीग्राम के हादसे में संलिप्त थे तथा उसके बदले में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से मांग की है कि लालगढ़ में उनकी कार्यवाहियों को समर्थन दे।

लालगढ़ का घटनाचक्र पुलिस की उस कार्यवाही के बाद आरम्भ हुआ जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हत्या के उद्देश्य से किये गये बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद आरम्भ हुई। यह बारूदी सुरंग विस्फोट उस समय किया गया था जब मुख्यमंत्री 2 नवंबर 2008 को शालबनी में एक स्टील प्लांट के उद्घाटन समारोह में भाग लेकर वापस लौट रहे थे।

प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि कारखाने के प्रस्तावित स्थान पर भूमि अधिग्रहण को लेकर कोई आंदोलन नहीं था और न ही इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव शामिल था। यह आरोप लगाये जाने पर कि विस्फोट के लिए जिम्मेदार दोषियों को पकड़ते समय पुलिस के द्वारा ज्यादतियां की गयी

थीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों के आधार पर कार्यवाही भी की थी। पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया, घायल व्यक्तियों को चिकित्सा और मुआवजा उपलब्ध कराया गया तथा गिरफ्तार किये गये कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। किन्तु जिस तथाकथित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ जनसमिति (पीसीएपीए) का गठन किया जा चुका था, पुलिस तथा राज्य प्रशासन को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के अलावा अन्य किसी बात में रूचि नहीं रखती थी। यद्यपि उनके साथ वार्ता के कई दौर हुए किन्तु गतिरोध बना रहा। उनकी मुख्य मांग से कि पश्चिम मिदनापुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा दूसरे पुलिस वाले अपने कान पकड़कर और जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगे, यह स्पष्ट था कि इस समिति की रुचि समस्या का समाधान खोजने में नहीं थी। बाद में उनके माओवादी गिरोह के नेता शशिधर महतो, जिसने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हत्या करने की कोशिश की थी, के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने की मांग करने ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे माओवादियों के एक फ्रंट के रूप में काम कर रहे थे।

तृणमूल कांग्रेस और तथाकथित जनसमिति के बीच का गठजोड़ भी शुरू से ही स्पष्ट था। समिति का प्रवक्ता छत्रधर महतो जो शशिधर का भाई है, तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता रहा था। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी व दूसरे तृणमूली नेता भी इस दौर में लालगढ़ में इस समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहे थे यद्यपि यह इलाका प्रशासन की पहुंच के बाहर था। अब तो राज्यसभा में 2 दिसंबर 09 को भारत के गृहमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध जनसमिति ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का फ्रंट संगठन है।''

जनसमिति से वार्ता करने के प्रशासन के सारे प्रयासों के बावजूद, नवंबर 2008 से लालगढ़ क्षेत्र की घेरेबंदी कर दी गयी और वह इलाका प्रशासन की पहुंच से बाहर हो गया। इस तथाकथित ''मुक्त क्षेत्र'' का इस्तेमाल, सीपीएम के कार्यकर्ताओं और माओवादियों का विरोध करने वाली दूसरी राजनैतिक ताकतों के विरुद्ध जानलेवा हमले करने के लिए किया गया। नवंबर 2008 से अब तक इस इलाके में माओवादियों के द्वारा 80 से अधिक लोगों की हत्या की जा चुकी है। इनमें सीपीएम के 70 से अधिक काडर और हमदर्द, झारखंड पार्टी (नरेन) के कार्यकर्ता तथा चुनाव आयोग के कर्मचारी शामिल हैं। माओवादी हिंसा के शिकार ज्यादातर व्यक्ति दलित या आदिवासी परिवारों के गरीब किसान अथवा खेतिहर मजदूर थे। माकपा के हमदर्द एक खेतिहर मजदूर शलकू सोरेन की

माओवादियों ने हत्या कर दी और उसकी लाश को कई दिनों तक खुले में डाले रखा ताकि सीपीएम समर्थकों को आतंकित किया जा सके। एक माओवादी गिरोह ने 22 वर्ष के विद्यार्थी अभिजीत महतो और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी। इन सभी हत्याओं को माओवादियों द्वारा ''वर्ग दुश्मन की समाप्ति'' करने के नाम पर उचित ठहराया गया।

लोकसभा के जिस चुनाव में सीपीआई (एम) और वामदलों को चुनावी धक्का लगा, उस चुनाव में भी झारग्राम (अनुसूचित जनजाति) लोकसभा सीट से माकपा प्रत्याशी का 59 प्रतिशत मत पाकर 3 लाख के भारी अंतर से जीतना साफतौर पर बताता है कि जनता, इस चुन–चुनकर की जा रही हिंसा के साथ नहीं थी। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की पुलिस तथा केन्द्र के अर्धसैनिक बलों के द्वारा इलाके में कार्यवाही आरम्भ हुई है और पिछले चार महीने में काफी बड़े इलाके को नागरिक प्रशासन के नियंत्रण में ले आया गया है। राज्य प्रशासन ने विकास के कार्यक्रम आरम्भ किए हैं और भोजन, राशन जैसी जरूरी सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ प्रचारतंत्र के कुछ हिस्सों के उकसावे से मदद पाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने भारी दोमुंहापन दिखाया। उसने राज्य सरकार पर माओवादी हिंसा को नियंत्रित करने में असफल रहने पर चोट की और सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में माओवादियों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जा रहा था ? दूसरी ओर जब केन्द्र सरकार ने सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध लगा दिया तथा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही शुरू की, तो माओवादियों के इन हमदर्दों ने राज्य सरकार द्वारा दमन के विरुद्ध तीखी भाषणबाजी शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना रुख बदलकर और माओवादियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही का विरोध कर,उनका साथ दिया। उसने केन्द्रीय सुरक्षा बलों की वापसी की मांग उठायी। इसके बदले में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेता कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी ने 4 अक्टूबर 09 को बंगाली दैनिक ***आनंद बाजार पत्रिका*** में दिये गये एक साक्षात्कार में ममता बनर्जी की जय–जयकार, पश्चिम बंगाल में अपनी पसंद के अगले मुख्यमंत्री के रूप में की।

मुख्यधारा के मीडिया और टिप्पणीकारों ने विकास न होने तथा स्थानीय आदिवासियों के असंतोष को, इस आंदोलन के मुख्य स्रोत के रूप में पेश किया है। किन्तु साक्ष्य दिखाते हैं कि जंगलमहाल कहलाने वाले बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में, इस आंदोलन ने कभी भी

जन–आंदोलन का रूप ग्रहण नहीं किया। कारण स्पष्ट था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिम बंगाल के ज्यादा विकसित इलाकों की तुलना में इन इलाकों में पिछड़ापन है किन्तु झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जहां पर माओवादी मजबूती से जड़ जमाये हैं, की तुलना में इस क्षेत्र के आदिवासियों की दशा बेहतर है। पश्चिमी मेदिनीपुर में पिछले इकतीस वर्षों में भूमि के पुनर्वितरण से 57 प्रतिशत आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदाय के लोग लाभान्वित हुए हैं। नवंबर 08 तक 1,76,668 आदिवासियों को 1,97,350.49 एकड़ जमीन के पट्टे प्राप्त हुए। इसी तरह 7,8,29 आदिवासियों को मकान के लिए जगह मिली तथा 23,4,52 आदिवासियों का पंजीकरण बर्गादार के रूप में हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वामपंथ के आलोचक इस पहलू को अनदेखा ही कर देते हैं।

माओवादी गतिविधियों के आरम्भ होने को, राजनैतिक पृष्ठभूमि से अलग नहीं किया जा सकता है। बिनपुर असेंबली का क्षेत्र, जिसके अंदर लालगढ़ आता है, कभी भी वामदलों का मजबूत गढ़ नहीं रहा। इस सीट को विपक्षी कई बार जीत चुके हैं। ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति ज्यादातर झारखंड पार्टी के विभिन्न गुटों और कांग्रेस के नेतृत्व में रही है। पिछले पंद्रह सालों से 10 ग्राम पंचायतों में से ज्यादातर वामविरोधी विपक्ष के हाथ में रहीं हैं। यह स्पष्ट है कि पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर के अन्य आदिवासी इलाकों के विपरीत, इस खास इलाके में विपक्ष मजबूती के साथ मौजूद है। विपक्ष की इस ताकत ने माओवादियों को अपनी गतिविधियां शुरू करने के लिए आरम्भिक आधार प्रदान किया। माओवादियों की यह थीसिस कि ''सीपीआई (एम) एक सामाजिक फासिस्ट ताकत है'' और इसलिए दूसरी बुर्जुआ पार्टियों के साथ माकपा विरोधी मैत्री उचित है, तृणमूल कांग्रेस के साथ सीधा गठजोड़ करने और माकपा के काडर तथा हमदर्दों पर जानलेवा हमले शुरू करने के लिए इस्तेमाल की गयी।

मदुरै में 1972 में आयोजित अपनी नवीं पार्टी कांग्रेस में एक ओर कांग्रेस और दूसरी ओर नक्सलवादियों के द्वारा पश्चिम बंगाल में पार्टी पर हो रहे दोतरफा हमले की पृष्ठभूमि में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने नक्सलवादी आंदोलन का निम्न आकलन किया थाः

''टुटपुंजिया दुस्साहसवाद का अधःपतन एक मजदूरवर्ग विरोधी, क्रांति–विरोधी नीति में होगा और इसका अपरिहार्य प्रारब्ध शासक वर्ग के हितों की सेवा करना है।'' आज माओवादी इसी अधः पतन के प्रतीक हैं और इसने उन्हें तृणमूल कांग्रेस के अनुचर में बदल दिया है।

वामपंथी संकीर्णतावाद का दिवालियापन

लोकसभा चुनाव के मौके पर सीपीआई (माओवादी) के केन्द्रीय कमेटी के प्रवक्ता ने ''संसदीय जनवाद मार्क्सवादियों के लिए एक छलावा है, क्रांति उनकी वास्तविकता है'' शीर्षक से हस्ताक्षरित वक्तव्य में, जनता से ''चुनावों का बहिष्कार'' करने की अपील की थी। इसका स्पष्ट और साफ संदेश था कि क्रांति होने जा रही है; मानो देश की गरीब भूखी और कमजोर जनता के सामने एक तात्कालिक चुनाव उपलब्ध था– ''या तो क्रांति या नकली संसदीय जनवाद'' ।

चुनाव के प्रति कम्युनिस्टों के संभावित रूख पर फ्रेड्रिक एंगेल्स की टिप्पणियां, (मार्क्स की ''फ्रांस में वर्ग युद्ध'' की भूमिका) सही दिशा–निर्देशन करती हैं। ''1866 में शुरू किये गये सार्वभौम मताधिकार के जर्मन मजदूरों के द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के बल पर पार्टी का अचंभित करने वाला विकास, संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है।'' उन्होंने आगे जोड़ा था कि कम्युनिस्टों को मिले मतों ने ''सही तौर पर हमें अपनी खुद की ताकत के संबंध में और सभी विरोधी राजनैतिक दलों की ताकत के संबंध में सही जानकारी दी'' और इस तरह '' हमें असामयिक कायरता और साथ ही असामयिक मूर्खता से बचाते हुए अपनी कार्यवाही के लिए पैमाना उपलब्ध कराया; यदि मताधिकार से केवल यही लाभ मिला होता तो यह भी जरूरत से ज्यादा रहता, किन्तु इसने इससे भी ज्यादा किया। चुनावी अभियान के रूप में इसने हमसे दूर रहने वाली जनता के संपर्क में आने का; सभी दलों को जनता के सम्मुख अपने विचारों और कार्यवाही की हमारी आलोचना के विरुद्ध बचाव पेश करने को मजबूर करने का साधन, जो किसी अन्य साधन से कम नहीं था, उपलब्ध कराया। इसने हमारे प्रतिनिधियों को रीश्टाग (संसद) में मंच दिया जहां से वे संसद के अंदर अपने विपक्षियों से और बाहर जनता से; प्रेस और मीटिंग की तुलना में बिल्कुल अलग अधिकार और स्वतंत्रता के साथ, बात कर सकते थे।''

वामपंथी भटकाव पर लेनिन का मानकग्रंथ ''वामपंथी भटकाव एक बचकाना मर्ज '' भी बताता है निश्चित तौर पर जनता के बीच क्रांतिकारी मनोदशा के विकास बगैर तथा इस मनोदशा के विकास को सुविधाजनक बनाने वाली दशाओं के बगैर क्रांतिकारी कार्यनीति कभी भी कार्यवाही में विकसित नहीं होगी। '' हालांकि रूस में लंबे कष्टपूर्ण तथा आशायुक्त अनुभव ने हमें यह सत्य सिखाया है कि केवल क्रांतिकारी मनोदशा पर क्रांतिकारी कार्यनीति नहीं बनायी

जा सकती। कार्यनीति को राज्य विशेष के अंदर (उसके चारों तरफ के राज्यों के अंदर और विश्व के संपूर्ण राज्यों के अंदर) मौजूद वर्ग शक्तियों के गंभीर तथा पूरी तरह से वस्तुपरक मूल्यांकन के साथ ही क्रांतिकारी आंदोलनों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। संसदों में भागीदारी को नकार कर या संसदीय अवसरवाद को गालियां देकर अपने ''क्रांतिकारी'' मिजाज को प्रदर्शित करना बहुत आसान है; किन्तु इसकी सरलता ही इसको एक कठिन, एक बहुत ही कठिन समस्या के समाधान में नहीं बदल सकती है।''

किन्तु भारत के माओवादियों को इससे कुछ लेना–देना नहीं है। वे तो सोचते हैं कि क्रांतिकारियों को सशस्त्र संघर्ष को छोड़कर अन्य किसी कार्यवाही में संलिप्त नहीं होना है। इसलिए, मजदूरों को ट्रेड यूनियन काम के द्वारा संगठित करने या किसानों खासतौर पर भूमिहीनों, गरीब और खेत मजदूरों को उनके प्रतिदिन की जीविका से संबंधित मुद्दों पर लामबंद करने, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की वर्गीय वास्तविकता के संबंध में उनकी चेतना बढ़ेगी, जैसे सांसारिक काम इन ''क्रांतिकारियों'' के लिए कोई महत्ता ही नहीं रखते हैं।

माओवादियों की कार्यवाहियों का एक मुख्य पहलू उन व्यक्तियों का खात्मा करना है, जो उनेक कार्यों का विरोध करते हैं। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों और 70 के आरंभ के वर्षों के नक्सलवाड़ी आंदोलन की विरासत का दावा करते हुए माओवादी भारत में माओवाद के पुरोगामी (अगुवा) चारू मजूमदार के योगदान को बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं, तथापि आज के माओवादियों के लिए ज्यादा बेहतर होता यदि उन्होंने मजूमदार के उस समय के विचारों पर गौर किया होता जब उन्हें नक्सलवादी आंदोलन का आसन्न–पतन दिखायी दे रहा था। अपनी गिरफ्तारी के पूर्व चारू मजूमदार अपने पार्टी सदस्यों के बीच में वितरित होने के लिए एक दस्तावेज तैयार कर रहे थे। इस दस्तावेज में उन्होंने टिप्पणी की थी, ''विनाश की व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा काम किया गया, कई गलतियां की गयी हैं। इनकी पार्टी में व्यापक आलोचना हुई है। संशोधन किये जायेंगे।'' मजूमदार ने इन भूलों के बारे में जेल से अपनी पत्नी को लिखे गये पत्र में लिखा। तथापि, इन गंभीर संकीर्णतावादी भूलों को सुधारने के स्थान पर सीपीआई (माओवादी) कई दिशाओं में बिखर गयी। आज भी माओवादी उन गलतियों से जिन्हें मजूमदार ने स्वीकार किया, सही सबक सीखने से इंकार करते हैं। मार्क्सवाद–लेनिनवाद की जिस विचारधारा पर कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी अपने कार्यक्रम और कार्यवाहियों को आधारित करती है, उसके सारतत्व को ग्रहण करने में माओवादियों का दिवालियापन स्पष्ट है तथा

वे आंख बंद करके संघर्ष के उन रूपों की नकल करते रहते हैं, जिनको दुनिया में दूसरी जगहों पर, वह भी सुदूर अतीत में, अपनाया गया था। लेनिन ने इंगित किया था कि मार्क्सवादी विचारधारा अपने को इसीलिए जिंदा रख सकी क्योंकि वह, एक ही समय में क्रांतिकारी और वैज्ञानिक दोनों है। समाज तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक समझ के बगैर क्रांतिकारी सामाजिक क्रांति की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकत हैं, किन्तु इसके साथ ही जब तक वैज्ञानिक समाज का जुड़ाव क्रांतिकारी जोश के साथ नहीं होगा, यह प्रक्रिया सिर्फ एक बौद्धिक कसरत बनकर रह जायेगी। इसीलिए, पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों के लिए ठोस परिस्थितियों के ठोस अध्ययन को ग्रहण करना महत्वपूर्ण है और यहीं पर माओवादी क्रांतिकारी होने की परीक्षा में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। भारतीय समाज, उसको रूप और आकार देने वाली प्रक्रियाओं, विश्व में होने वाले परिवर्तनों, विकास के चरण, भारत के शासक वर्ग की सही प्रकृति पर माओवादियों ने जो साहित्य रचा है, वह पूरी तरह से चीनी क्रांति की नकल है।

माओवाद : माओ के विचारों की पूर्णतः गलत प्रस्तुति

भारत में माओवाद माओ. जे. डोंग (माओ त्से तुंग) के सिद्धांत एवं व्यवहार की भौंड़ी विकृति है। माओवादी भूल जाते हैं कि कामरेड माओ के नेतृत्व में क्रांति के जिस पथ का अनुकरण चीन की जनता ने किया, उसकी अंधी नकल करके वह हकीकत में चीन की महान क्रांति के योगदान तथा सोवियत यूनियन के नेतृत्व में फासीवाद पर प्राप्त विजय के फलस्वरूप राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों की व्यापक सफलता की उपलब्धियों में ही, पलीता लगा रहे होते हैं। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शक्तियों की कतारबंदी में बदलाव ला दिया था। इसको अनदेखा करते हुए माओवादी अब भी नक्सलवाड़ी आंदोलन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा में– कि भारत की आजादी एक दिखावा है तथा नई सहस्त्राब्दि में भी भारत अर्द्ध–औपनिवेशिक राज्य है– विश्वास करते हैं। क्रान्तिकारी, जिनका निशनी ही है बदलाव लाना, कभी भी वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बड़े परिवर्तनों से अनजान नहीं रह सकते हैं और न ही उन परिवर्तनों के निहितार्थ को आत्मसात करने में चूक सकते हैं।

सी.पी.आई. (माओवादी) के वर्तमान सचिव गणपति ने, अपनी पार्टी के मुखपत्र ***पीपुल्स मार्च*** को दिये गये एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि सीपीआई (एमएल) के पीपुल्स वार ग्रुप में, जो अब उनकी पार्टी (माओवादी

पार्टी) का संघटक अंग है, अपने साहित्य तथा समझ में शब्द ''माओवाद'' के इस्तेमाल करने पर बहस थी। यह अलग बात है कि गणपति ने इस नई परिभाषिक शब्दावली (माओवाद) का विरोध करने वालों पर ''मौकापरस्त गुट'' होने का ठप्पा लगाया। किन्तु सच्चाई यही है कि ''माओवाद'' की अवधारणा ही भ्रमित है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही यह स्पष्ट कर दिया था कि माओ के विचार, मार्क्सवाद–लेनिनवाद के सार्वलौकिक सिद्धांतों का चीन की क्रांति के मूर्त व्यवहार के साथ एकीकरण हैं। चीन की क्रांति के पथ को भारत में जस का तस दोहराना तथा उसकी कोशिश करना, भारत की वास्तविकताओं को नकारना है। नक्सलवाड़ी आंदोलन के दौर में जन्म लेने वाली सीपीआई (एमएल) ने ''चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है'' तथा ''चीन का पथ हमारा पथ है'' जैसे अव्यवहारिक नारे लगाये। इसकी तुलना माओ के द्वारा जहां तक चीन का संबंध था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सामान्य कार्यनीति के विरोध से कीजिए। यह माओ ही थे जिन्होंने इस पर जोर दिया तथा सही ही जोर दिया था कि चीन की क्रांति, उसी यात्रा पथ का अनुकरण नहीं कर सकती, जिस पर रूस की क्रांति चली थी। इसी तरह भारत के कम्युनिस्टों को भारत की ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण कर अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। ''माओवाद'' के नाम पर, चीन में क्रांति से पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तय किये रास्ते को थोक के भाव उधार लेना, माओ के सिद्धांतों की ही प्रकृति के विरूद्ध है।

भारत के माओवादियों के लिए बेहतर होगा कि वे नेपाल के माओवादियों के अनुभव से सबक सीखें तथा आत्मसात करें। इस तथ्य के बावजूद कि देश के बड़े इलाके में अपने सशस्त्र किसान संघर्ष के चलते नेपाल में माओवादियों को भारी समर्थन प्राप्त था, उन्होंने महसूस किया कि यदि वे पुरातन राजतंत्र के स्थान पर बहुदलीय संवैधानिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के कार्यभार में हिस्सेदारी नहीं करते हैं, तो वे और आगे नहीं जा सकेंगें। इसी पृष्ठभूमि में नेपाल के माओवादियों ने अन्य वामपंथी तथा राजतंत्रविरेाधी बुर्जुआ दलों के सात दलीय गठाजोड़ के साथ, ऐतिहासिक समझौता किया था। इसने यह सुनिश्चित किया कि नेपाली जनता ने उन्हें देश की राजनीति में बड़ी ताकत के रूप में स्वीकार किया। नेपाल के माओवादियों से शिक्षा ग्रहण करने के बजाय भारत के माओवादियों ने उनका तीखा विरोध किया और आलोचना की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने नेपाल की माओवादी पार्टी के नाम जो खुला पत्र लिखा था, अत्यंत ही निर्लज्ज दस्तावेज है। ऐसा दस्तावेज साम्यवाद के

''सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद'' के सिद्धांत को मानने वाली कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी जारी नहीं करती।

पूंजीवादी विकास तथा माओवादी अंधमतवाद (डोग्मा)

भारत के माओवादियों द्वारा प्रतिपादित माओवाद के सैद्धांतिक ढांचे के साथ मुख्य समस्या यह है कि भारत के माओवादी जिस समाज में वह काम कर रहे हैं उसकी ठोस परिस्थितियों को समझने तथा बदलती परिस्थितियेां के अनुरूप अपने को विकसित करने की आवश्यकता को पहचानने में असमर्थ रहे हैं। इसी के परिणामस्वरूप माओवादी आज भी भारत के राज्य की सीपीआई (एमएल) के कार्यक्रम में दी गयी चालीस वर्ष पुरानी व्याख्या से चिपके हुए हैं तथा अति–वामपंथी आंदोलन के असंख्य गुटों में बिखर जाने तथा बंट जाने से, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया है।

नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद 1970 में सीपीआई (एमएल) ने अपने कार्यक्रम में भारतीय राज्य को जो विश्लेषण किया था, माओवादी उससे एक इंच भी अलग नहीं हुए हैं। चालीस साल के बाद भी उनकी यही समझ बनी हुई है कि भारत की आजादी औपचारिक एवं दिखावा मात्र है तथा भारत का शासक वर्ग, साम्राज्यवादी व्यवस्था का ताबेदार है जिसका पतन निकट भविष्य में होना निश्चित है। इसी के चलते माओवादी अब भी विश्वास करते हैं कि एक हथियारबंद संघर्ष में शामिल ग्रामीण क्षेत्र, नगरों की (घेराबंदी) करके अतिशीघ्र क्रांति ले आयेंगे। कोलकाता की गलियों में किये गये नक्सली दीवाल लेखन में ''सत्तर का दशक–मुक्ति का दशक'' जैसे नारे लिखे जाते रहे हैं। इस तथ्य के बाद कि वस्तुपरक अनुभव ने इस आकलन की पुष्टि नहीं की, थोड़ा बहुत आत्म–निरीक्षण होना चाहिए था, किन्तु स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हुआ।

नक्सली समझ यह थी कि भारत का शासक वर्ग एक ''दलाल नौकरशाह पूंजीपति '' वर्ग था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठवीं कांग्रेस द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार दलाल पूंजीपति वह है जो साम्राज्यवाद की ताबेदारी, कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात करता है। वह साम्राज्यवाद की कठपुतली मात्र है। इसलिए, ऐसा पूंजीपति वह है जिसका अपना सामाजिक आधार नहीं होता है। कुल मिलाकर वह उतना ही कमजोर होगा जितना ताश के पत्तों का महल। ऐसे ढांचे को गिराने के लिए एक हल्के से धक्के की ही जरूरत होती है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की समझ यह है कि भारत के

शासक वर्ग में पूंजीपति तथा भूस्वामी गठजोड़ शामिल है जिसका नेतृत्व बड़ा पूंजीपति करता है। यह बड़ा पूंजीपति वर्ग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के साथ सहयोग करता है जो बराबर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सीपीआई (एम) यह स्वीकार करती है कि समग्र रूप में लेने पर,,भारतीय पूंजीपति का दोहरा चरित्र है। एक ओर तो विश्व–पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते और भारत में पूंजीवाद का विकास करने के लिए काम करते हुए, वह साम्राज्यवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के साथ सहयोग करता है, और दूसरी ओर अपने आर्थिक क्षेत्र केा बचाये रखने, उसका विस्तार करने तथा उसे वैश्विक पूंजी के अतिक्रमण से बचाने के लिए, उसका साम्राज्यवाद से टकराव भी है। किन्तु इन टकरावों का समाधान संघर्ष से नहीं अपितु समझौते, दबाव तथा सौदेबाजी से किया जाता है। इस दोहरे चरित्र की अभिव्यक्ति, सरकार की आर्थिक एवं विदेश नीतियेां में साफतौर पर देखी जा सकती है।

भारत में पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया की पेचीदगियों को न समझने तथा यांत्रिक रूप से उसे चीन की प्रक्रिया की हू–ब–हू नकल मान लेने के कारण, भारत के अति–वामपंथियों के पास इन वर्षों में जो कुछ हुआ है उसकी व्याख्या करने के लिए कोई सूत्र ही नहीं है। पूंजीवाद के संपूर्ण विकास के हिस्से के रूप में भारत में विनिर्माण, उद्योग, ज्ञान पर आधारित उद्योग जैसे बायोटैक्नोलॉजी, सूचना टैक्नोलॉजी, विकसित क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास, विद्युत तथा रेल्वे जैसे बुनियादी ढांचे का विकास तथा भारी उद्योग का विकास, भारत में पूंजीवाद के समग्र विकास के हिस्सों के रूप में हुआ। यदि भारत का नेतृत्व दलाल, नौकरशाह–पूंजीपति वर्ग के हाथ में होता तो लंबे अरसे के दौर में विकसित की गयी इन घरेलू क्षमताओं के बारे में, सोचा भी नहीं जा सकता था।

जनता के मुद्दों से असंबद्ध–बुद्धिरहित सैन्यवाद

माओवादियों के व्यवहार का रोजी–रोटी के मुद्दों से तथा सामाजिक आर्थिक न्याय से कुछ लेना–देना नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे रोजमर्रा के मुद्दों की अच्छी–खासी संख्या है जो जंगलात की संपदा पर उस जनता की पहुंच के अधिकार से संबंध रखते हैं, जो उन इलाकों में बसती हैं जहां माओवादी सक्रिय हैं। किन्तु देश के खनन कानूनों के मुद्दें को, जो आदिवासियों तथा अन्य वनवासियों को विस्थापित करते हैं, उठाने के बजाय माओवादी केवल हिंसक सशस्त्र क्रांति की बात करते रहे हैं, मानो एक लंबे सशस्त्र संघर्ष की

बात करके ही जनता को आकर्षित किया जा सकता है और सारे बदलाव तभी लाये जा सकते हैं जब ''क्रांतिकारी सरकार'' की स्थापना हो जाएगी। इसी तरह साम्राज्यवादविरोधी तीखी बयानबाजी के बावजूद, जब मुद्दों को उठाने तथा जनता को लामबंद करने का सवाल आता है तो, उनके यहां स्तंभित करने वाली चुप्पी के अलावा कुछ नहीं है। माओवादियों ने वित्तीय उदारीकरण के विनाशकारी प्रभाव तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सट्टेबाजाराना गतिविधियों के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा। न ही कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश से हाथ खींचे जाने पर,, जो देश में तीव्र कृषि संकट का एक प्रमुख कारण रहा है, जिसके चलते हजारों हजार किसानों ने आत्महत्या की, उन्होंने कोई खास विरोध प्रकट किया है।

बंदूक पंथ यानी जनता के तथाकथित गुरिल्लाओं की मारक शक्ति तथा सैनिक कार्यनीतियों पर वाद–विवाद से ही माओवादी पूर्णरूप से अभिभूत रहे हैं। चीन की क्रांति की कार्यनीति, रणनीति तथा अनुभव के संबंध में अपनी अनेक रचनाओं में माओ ने अविवेकपूर्ण सैन्यवाद के विरुद्ध जो चेतावनी दी है, भारत के माओवादी उस पर रंचमात्र भी ध्यान देते दिखाई नहीं देते हैं। इस अविवेकपूर्ण सैन्यवाद का सबसे बड़ा खतरा इसमें है कि यह राज्य द्वारा दमन को उकसाता है, जो केवल ''तथाकथित क्रांतिकारियों'' को ही समाप्त नहीं करता अपितु निर्दोष गरीब ग्रामीणों को भी दमन का शिकार बनने के लिए खुला छोड़ देता है, उनको पस्तहिम्मत करता है तथा अपने अधिकारों के लिए संगठित होने तथा संघर्ष करने की उनकी क्षमता पर,, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी तरह गांव के गरीब लूट व शोषण के शिकार बने रहते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। यहां पर आदिवासी माओवादियों तथा सरकार प्रायोजित सैनिक जत्थे ''सल्वा जुडुम'' के बीच चल रहे हिंसा तथा प्रतिहिंसा के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। इस प्रक्रिया के चलते माओवादी, उस मजबूत जनवादी आंदोलन के, जो शोषित और गरीबों की क्रांतिकारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाता है, विकास को भंग करते हैं। इसके पहले हमने पश्चिम बंगाल में तथा उसके उपरांत आंध्र–प्रदेश में ऐसा होते हुए देखा है।

ऐसे विवेकशून्य सैन्यवाद के फलस्वरूप क्या परिणाम निकल सकते हैं यह वर्तमान माओवादी पार्टी के मुख्य घटक आंध्रप्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप की कार्यवाहियों के भागीदार तथा उसके संगी–साथियों द्वारा जनता के समक्ष पेश की गयी विपुल सामग्री से स्पष्ट हो जाता है। डा0 बाल गोपाल ने, जिनका कुछ समय पूर्व निधन हो गया, **डार्क एंजेल्स** में अपने लेखों में माओवादियों के

अधःपतन का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने पीपल्स वार ग्रुप के अनेक भयंकर तथा घृणित कृत्यों का उल्लेख किया गया है, जो इस संगठन के परपीड़क चरित्र को, जो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बिल्कुल विजातीय हेाता है, उजागर करता है। फौरी सैनिक तथा कार्यनीतिक लाभ पाने के लिए पीपुल्स वार ग्रुप को भूस्वामियों तथा शासक वर्ग के अन्य हिस्सों के साथ अपवित्र गठजोड़ करने में भी हिचक नहीं हुई थी।

यह विडंबनापूर्ण लग सकता है कि अपने दस्तावेज ''चुनाव बाद की परिस्थिति तथा हमारे काम'' में माओवादियों ने स्वीकार किया है कि ''पिछली सरकार में, जहां कांग्रेस के पास सीटें कम थीं, सत्ता में बने रहने के लिए वह पूरी तरह से अपने मित्र दलों पर निर्भर थी तथा वामदलों ने भी चार वर्षों तक मनमोहन सिंह की सरकार पर कुछ दबाव बनाया।'' उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि, ''चुनाव परिणाम ने संप्रग सरकार को इसका अवसर प्रदान किया है कि वह अधिक क्रूर कानूनों को बना सके।'' इसके बावजूद, उसी सरकार की नीतियों का विरोध करने में अपनी विफलता के चलते वे अंत में वामपंथ पर हमला करने तथा उसी सरकार के दूसरे सबसे बड़े घटक तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में गलबहियां डालने तक पहुंच जाते हैं। वे झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के जंगल क्षेत्र में तृणमूल के हथियारबंद भृत्य बनकर रह गये हैं। यह जनता के मुद्दों के साथ किसी प्रकार के जुड़ाव के बगैर ''क्रांति'' लाने के लिए ''सशस्त्र संघर्ष'' चलाने के नतीजों का उत्कृष्ट प्रदर्शन है।

प्रजातंत्र के साथ असहज

संपूर्ण विश्व में कम्युनिस्ट प्रजातंत्र के प्रश्न से जोरदार ढंग से उलझ रहे हैं। सोवियत यूनियन के पतन के बाद इसका महत्व और अधिक हो गया है। हमने माकपा के अंदर इसका सामना आपातकाल के दौरान और उसके बाद जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षों में तथा साम्प्रदायिक फासीवादी ताकतों द्वारा किये गये विध्वंस व लूट का सामना करने में किया। इसके साथ ही सोवियत यूनियन की कमजारियों को, जिन्होंने एक बड़ी सीमा तक उसके ध ाराशायी होने में योग दिया, समझने में भी इसका सामना किया। हमने अपने दस्तावेज ''कुछ विचाराधारात्मक मुद्दों पर'' में उल्लेख किया है कि जैसे जैसे समाजवादी कानून व्यवस्था तथा राज्य सुदृढ़ हुआ तथा वर्गीय शक्तियों के संतुलन में उसके पक्ष में बदलाव आया, प्रजातंत्र को और व्यापक बनाने के लिए अवसर भी खुल गये। दुर्भाग्य से वस्तुस्थिति के गलत आकलन के चलते परवर्ती

दौर में भी राज्य मशीनरी को चलाने के पहले के तरीकों को जारी रखा गया। इसके फलस्वरूप बढ़ती हुई नौकरशाही, समाजवादी विधि व्यवस्था का उल्लंघन तथा व्यक्ति की आजादी व स्वतंत्रता के दमन जैसी विकृतियां पैदा हुईं। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में उच्चतर अवस्थाओं की ओर विकास का निहितार्थ है, समाजवादी प्रजातंत्र का उत्तरोत्तर सम्पन्न होना।''

माओवादियों ने नेपाल में भी एहसास किया है कि इक्कीसवीं शताब्दी में, बीसवीं शताब्दी के संघर्षों का जोश–खरोश के साथ अनुकरण मात्र करके सफल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने 21वीं शताब्दी में प्रजातंत्र के सवाल पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श और बहस की। मई–जून 2003 के रोल्पा प्लेनम में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने ''इक्कीसवीं सदी में प्रजातंत्र का विकास'' दस्तावेज स्वीकृत किया। बाबूराम भट्टाराई लिखते हैं ''बीसवीं सदी में क्रांति तथा प्रतिक्रांति के अनुभवों की आलोचनात्मक समीक्षा करने के बाद दस्तावेज में राज्य, सेना तथा दल के ऊपर जनता की निगरानी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने की जरूरत की पैरोकारी की, ताकि क्रांति करने के बाद सतत क्रांति के रास्ते पर कदम बढ़ाया जा सके, और इसके लिए तयशुदा संवैधानिक चौखटे के अंदर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था पर अमल करने की अवधारणा को आगे बढ़ाया। यह क्रांतिकारी विचारों के विकास में मील का नया पत्थर था'' (बाबूराम भट्टाराई, ''इपॉकल टेन इयर्ज आफ एप्लीकेशन एण्ड डेवलपमेंट आफ रिव्ल्यूशनरी आइडियाज'' ***द वर्कर,***, 10 मई 2006)। नेपाल में जनयुद्ध की दसवीं वर्षगांठ पर दिये गये विशेष साक्षात्कार में प्रचंड ने टिप्पणी की ''एक बात के बारे में सबको स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी पार्टी बीसवीं शताब्दी की क्रांतियों एवं प्रतिक्रांतियों के अनुभवों से सबक सीखकर इक्कीसवीं शताब्दी में जनता के जनवाद के विकास के बारे में बात कर रही है और उसी के अनुसार उसने एक सामंतवादविरोधी तथा साम्राज्यवादविरोधी संवैधानिक चौखटे में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया है।''

बहरहाल, भारत के माओवादी प्रजातंत्र के प्रश्न का उत्तर देने की इस महती मांग से मुख्य रूप से अनभिज्ञ ही बने रहे हैं। सदाशयी उदारवादी बुद्धिजीवी ठीक ही माओवादियों से निपटते समय मानव अधिकारों के सम्मान करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। किन्तु वे भी इस तथ्य को अनदेखा कर देते हैं कि माओवादियों के द्वारा की जा रही विवेकहीन हत्याओं से निपटने के लिए दृढ़ प्रशासनिक कार्यवाही की जरूरत है। यदि माओवादी कोई अपराध

करते हैं तो उन पर स्वतंत्र रूप से अभियोग लगाना एवं मुकदमा चलाना होगा, जिसमें उन्हें अपना बचाव करने की पूरी आजादी हो। उदारवादी जनमत कानूनी तौर पर जोर देता है कि सरकार को फर्जी मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के ''सलवा जुडुम'' जैसे अभियान नहीं चलाने चाहिए। राज्य की इस तरह की कार्यवाहियां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को तथा उस अवधारणा को कि जब तक अपराध सिद्ध न हो व्यक्ति निर्दोष होता है, कमजोर बनाती हैं, जबकि ये दोनों बातें हमारी न्याय व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत है।

बहरहाल, माओवादियों की मुख्य समस्या का संबंध उन तरीकों से है जो वे उन लोगों से निपटने में अपनाते हैं, जिनकों वे अपने वर्ग दुश्मन के रूप में देखते हैं। वे व्यक्तियों को वर्ग–दुश्मन के रूप में देखते है। व्यक्तियों को वर्ग दुश्मन के रूप में देखना और उन्हें सामंती शोषकों का पिछलग्गू या पुलिस एजेंट बाताना पूरी तरह से निजी समझ का मामला हो जाता है। अक्सर वे इतने नीचे गिर जाते हैं कि बंदूकों के साये तले कंगारू अदालतें लगाकर पुलिस के साधारण सिपाहियों, स्कूल अध्यापकों या खेत मजदूरों को मौत की सजा सुना देते हैं। इन अवसरों पर माओवादी जत्थे का नेता एक साथ शिकायतकर्ता, अभियोजन पक्ष के वकील, न्यायाधीश और जल्लाद का काम करता है। अक्सर तो इस बोझिल प्रक्रिया को ही त्याग दिया जाता है। मार डाले गये व्यक्ति की लाश के पास यह घोषित करने वाला पोस्टर लगा देना ही पर्याप्त समझ लिया जाता है कि वह वर्ग दुश्मन है। यह तो ऐसा ही है कि यदि आप माओवादियों के साथ नहीं हैं तो आप वर्ग दुश्मन हैं। यह बुश के सिद्धांत का ही एक विकृत तरजुमा है। इसीलिए, प्रजातंत्र के सवाल पर उनका असहज होना स्पष्ट है और यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर उन सभी सदाशयी उदारवादियों को देना होगा, जो सरकार के मानव अधिकार के रिकार्ड पर प्रश्न उठाते हैं।

माकपा का विश्वास है कि माओवादियों के खिलाफ संघर्ष केवल सुरक्षा बलों की ताकत के बल पर सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। माओवादियों के हथियारबंद गिराहों के द्वारा की जा रही हिंसा एवं हत्याओं की रोकथाम का समाधान उन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है। माकपा गैर–कानूनी कार्यवाही निषेध कानून (यूएपीए) के क्रूर प्रावधानों का विरोध करना जारी रखेगी। माकपा यह भी इंगित करती है कि जिन क्षेत्रों में माओवादी सक्रिय हैं, वहां आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की बहुत भारी आवश्यकता है। किन्तु हथियार डालने की बात तो दूर रही हिंसा छोड़ने के सवाल पर भी माओवादियों का उत्तर, हिचकिचाहट एवं संभ्रमपूर्ण है। आखिर यह हिचकिचाहट

क्यों ? स्वयं माओवादियों को यह महसूस करना होगा कि मानव अधिकारों का अनुपालन एकतरफा ढंग से नहीं हो सकता है।

केन्द्र सरकार क्या करें ?

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादी हिंसा को ''देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अकेले सबसे बड़े खतरे'' के रूप में स्वीकार किया है।किन्तु उनकी ही मंत्रिपरिषद की सहयोगी इस बात को नहीं मानती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मीडिया की समझ रखने वाला माओवादी नेता किशनजी, तृणमूल नेता को पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखने की आशा कैसे जाहिर करता! सभी की बात तो दूर रही, सरकार अपने घटक दलों के अंदर ही माओवादियों के प्रति एक साझा नीति पर चलने की आम राय नहीं बना सकी है। ऐसा होना तब तक कठिन है जब तक सरकार आदिवासी इलाकों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं करती है। वंचितों और गरीबों के शक्तिहीन तथा असहाय होने के कारण ही, माओवादी गिरोहों की अगुआई में चलने वाला आतंक और वसूली का निजाम फलता–फूलता है। सरकार को आदिवासियों के विस्थापन और बेदखली के मुद्दों का समाधान करने के लिए काम करना होगा। खनन कानूनों और खनन नीतिया की तुरन्त समीक्षा करने की जरूरत है, जिनके कारण आदिवासी इलाके बड़े कारपोरेट घरानों की लूट के लिए खुल गये हैं। भूमि सुधारों, वन अधिकार कानून और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून का क्रियान्वयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माओवादियों के खिलाफ इस लड़ाई को बंदूकों की लड़ाई में बदलने के बावजूद सरकार को जनता की चिंता करनी होगी और हिंसा का अभियान चलाने वाले माओवादियों को जनता से अलग थलग करना होगा। यही वह रास्ता है जिस पर सरकार को चलना चाहिए।

परास्त होंगे माओवादी

हम सभी के लिए जो शोषण, गरीबी और भूख से मुक्त विश्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं यह जरूरी है कि माओवादियों का विचारधारात्मक और राजनैतिक रूप से मुकाबला करें, ताकि संगठित वामपंथी आंदोलन की रक्षा की जा सके। शहीद माकपा के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। देश का जनवादी और प्रगतिशील जनमत अंततः सफल होगा।

माओवादियों द्वारा 21 अप्रैल 2009 से 31 जनवरी 2010 तक मारे गए पार्टी नेताओं, सदस्यों और समर्थकों की सूची

1. 21 अप्रैल 09, शक्ति सेन, पार्टी सदस्य, नांदरिया, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
2. 23 अप्रैल 09, गोपीनाथ मुरमू, पार्टी समर्थक, रामगढ़, पश्चिमी मेदिनीपुर।
3. 23 अप्रैल 09, बैकुंठ महतो, जोनल कमेटी सदस्य, बलरामपुर, पुरूलिया।
4. 23 अप्रैल 09, विभूति सिंह सरदार, जोनल कमेटी सदस्य, बलरामपुर, पुरूलिया।
5. 23 मई 09, दिनेश महतो, लोकल कमेटी सदस्य, बलरामपुर, पुरूलिया।
6. 11 जून 09, सल्कू सोरेन, पार्टी सदस्य, धरमपुर, साल्बनी, पश्चिमी मेदिनीपुर।
7. 14 जून 09 असित सामंत, ब्रांच सचिव, धरमपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
8. 14 जून 09, देवब्रत सोरेन, डीवाइएफआइ नेता, धरमपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
9. 14 जून 09, धीरज मान्ना, डीवाइएफआइ कार्यकर्ता, कृष्णानगर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
10. 14 जून 09, केशव मान्ना, लोकल कमेटी सदस्य, कृष्णानगर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
11. 14 जून 09, मोहन सिंह, किसान सभा सदस्य, कदमदीह, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
12. 14 जून 09, नारू सामन्त, डीवाइएफआइ कार्यकर्ता, धरमपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
13. 14 जून 09, प्रबीर महतो,, पार्टी सदस्य, धरमपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
14. 14 जून 09, संजय महतो, डीवाइएफआइ कार्यकर्ता, कृष्णानगर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
15. 16 जून 09, सुनील दास, किसान सभा सदस्य, जीरापारा, धरमपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
16. 16 जून 09, तपन दास (तापू), डीवाइएफआइ कार्यकर्ता, जीरापारा, धरमपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
17. 17 जून 09, अभिजीत महतो, एसएफआइ नेता, बंकासोल, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।

18. 17 जून 09, अनिल महतो, ब्रांच सचिव, बंकासोल, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।
19. 17 जून 09, बादल चन्द्रा अहीर, लोकल कमेटी सदस्य, शीतलपुर, ग्वालतोर, पश्चिम मेदिनीपुर।
20. 17 जून 09, नीलाद्री महतो, एसएफआइ–डीवाइएफआइ नेता, बंकासोल, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।
21. 18 जून 09, शिशिर महतो, डीवाइएफआइ कार्यकर्ता, बागाहारा, बामल, धरमपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
22. 21जून 09, बुद्धेश्वर महतो, ब्रांच सचिव, ठाकुरपारा, लालगढ़, पश्चिम मेदिनीपुर।
23. 21जून 09, प्रणेश घोष, पार्टी सदस्य, दुरलवपुर, लालगढ़, पश्चिम मेदिनीपुर।
24. 5 जुलाई 09, मलय महतो, डीवाइएफआइ नेता, कदमदीहा, धरमपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
25. 5 जुलाई 09, मोतीलाल महतो, किसान सभा सदस्य, बोनीसोल, धरमपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
26. 10 जुलाई 09, बारेन महतो, पार्टी समर्थक, सिरसी, मेदिनीपुर सदर, पश्चिम मेदिनीपुर।
27. 10 जुलाई 09, गुरुचरन महतो, पार्टी सदस्य, सिरसी, मेदिनीपुर सदर, पश्चिम मेदिनीपुर।
28. 12 जुलाई 09, स्वपन देबसिन्हा, पार्टी समर्थक, मधुपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
29. 12 जुलाई 09, तारिनी देबसिन्हा, पार्टी समर्थक, मधुपुर, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
30. 13 जुलाई 09, अभिजीत मंडल (12), पार्टी समर्थक, उलूबेरिया, हावड़ा।
31. 15 जुलाई 09, गंगाधर महतो, लोकल कमेटी सचिव, बड़ाबाजार, पुरुलिया।
32. 18 जुलाई 09, अशोक घोष, पार्टी समर्थक, बेतझरिया, ग्वालतोर, पश्चिम मेदिनीपुर।
33. 18 जुलाई 09, जलधर महतो, जोनल कमेटी सदस्य, चेउंदीसोल, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।
34. 18 जुलाई 09, पार्टी सदस्य, बृहस्पति महतो, पुंचा, पुरूलिया।

35. 22 जुलाई 09, फागू बास्के, पार्टी सदस्य, किसान नेता, मधुपुर साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
36. 28 जुलाई 09, आनन्द दास, डीवाइएफआइ यूनिट सचिव, ताकीमारी, लोकल कमेटी सदस्य, राजगंज, ताकीमारी–2, मिलनपाल्ली, भक्तिनगर, राजगंज, जलपाइगुड़ी।
37. 30 जुलाई 09, सागर चंद्र मसांता, लोकल कमेटी सदस्य, साक्ली, ग्वालतोर, पश्चिम मेदिनीपुर।
38. 1 अगस्त 09, निर्मल महतो, ब्रांच सचिव, अम्दांगा, लालगढ़, पश्चिम मेदिनीपुर।
39. 5 अगस्त 09, शंकर अधिकारी, पार्टी समर्थक, चन्द्रा मेदिनीपुर सदर, पश्चिम मेदिनीपुर।
40. 10 अगस्त 09, मोहितोश मिश्रा, पार्टी समर्थक, धेरूआ मेदिनीपुर सदर, पश्चिम मेदिनीपुर।
41. 15 अगस्त 09, रामकृष्ण धूले (52), पार्टी कार्यकर्ता, सलूका, सरेंगा, बांकुड़ा।
42. 28 अगस्त 09, मंगल सोरेन (24), पार्टी सदस्य, डीवाइएफआइ नेता, एरगोदा, बीनपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
43. 29 अगस्त 09, विद्युत दास, किसान सभा सदस्य, नेराजामदा, बीनपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
44. 29 अगस्त 09, गोविन्द सिंह, पार्टी समर्थक, पश्चिम मेदिनीपुर।
45. 29 अगस्त 09, भारत हेमब्राम (40), पार्टी कार्यकर्ता, महिलतार, बलरामपुर, पुरूलिया।
46. 29 अगस्त 09, लक्ष्मीकांत कुमार (50), लोकल कमेटी सचिव, चाटूहासा अर्शा, पुरूलिया।
47. 30 अगस्त 09, देवीप्रसाद हंसदा, ब्रांच सचिव, गीतिंगलहर, घाटबेरा, बलरामपुर, पुरूलिया
48. 5 सितम्बर 09, शशांक शेखर राय (42), पार्टी कार्यकर्ता, साल्बोनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
49. 5 सितम्बर 09, सतीश चंद्र सिंह सरदार (45), पार्टी सदस्य, भूलावेदा, पश्चिम मेदिनीपुर।

50. 6 सितम्बर 09, श्याम चालक (50), ब्रांच सचिव, केउदी जोयपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
51. 7 सितम्बर 09, बानेश्वर मुर्मू (40), डीवाइएफआइ, लोकल कमेटी सचिव, हाब्रा सारेंगा, बांकुड़ा।
52. 7 सितम्बर 09, रामदास मुर्मू (52), लोकल कमेटी सदस्य, हाब्रा, सारेंगा, बांकुड़ा।
53. 10 सितम्बर 09, कृष्णा कुंदू (70), लोकल कमेटी सचिव, चिंग्रा, खायेरबेरी, सारेंगा, बांकुड़ा।
54. 14 सितम्बर 09, कार्तिक महतो (34), पार्टी सदस्य, डीवाइएफआइ लोकल कमेटी सदस्य, बेल्टिक्री साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
55. 14 सितम्बर 09, शंभू महतो (50), पार्टी सदस्य, बूरिपाला, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
56. 16 सितम्बर 09, अजय पात्रा (33), पार्टी कार्यकर्ता, साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
57. 23 सितम्बर 09, नेमाई बिसूई (65), पार्टी समर्थक, हरिमारा ग्वालतोर, पश्चिम मेदिनीपुर।
58. 27 सितम्बर 09, नबगोपाल मंडल, पार्टी समर्थक, गंगरा, नंदीग्राम, पूर्व मेदिनीपुर।
59. 26 अक्टूबर 09, प्रताप नायक (52), पार्टी सदस्य, बीनपुर, अधरिया, पश्चिम मेदिनीपुर।
60. 7 नवम्बर 09, नवकुमार सिंह (38), लोकल कमेटी सदस्य, चन्द्रा लोकल कमेटी, गांव–गोवालदांगा चिलगोरा, पश्चिम मेदिनीपुर।
61. 22 नवम्बर 09, तपन महतो (48), गरीब किसान, पार्टी सदस्य, गांव–सिरशी, पश्चिम मेदिनीपुर।
62. 23 नवम्बर 09, अशोक कोटल (44), पार्टी सदस्य, खरीकाशुली, मेदिनीपुर सदर, पश्चिम मेदिनीपुर।
63. 24 नवम्बर 09, मदन घोष (58), जोनल कमेटी सदस्य, बीनपुर–2 जोनल कमेटी, अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी सदस्य, गांव–ऑलिया, पश्चिम मेदिनीपुर।
64. 26 नवम्बर 09, सुविमल माली (45), अध्यापक रंगा हाई स्कूल, पुरूलिया, एबीटीए सदस्य, पार्टी समर्थक, गांव–महाकाली पो.–आस्थापुर पीएस–

रामनगर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरूलिया।

65. 28 नवम्बर 09, करुणा महतो, प्रधान, नं. 6, ग्राम पंचायत, सीपीआइ(एम) कार्यकर्ता, गांव–जीतूसोल, पश्चिम मेदिनीपुर।
66. 3 दिसम्बर 09, रामचन्द्र लाया, अध्यापक रंगा हाई स्कूल, पुरूलिया, एबीटीए सदस्य, लोकल कमेटी सचिव, अयोध्या पहार, गांव–महाकाली पो. –आस्थापुर, पीएस–रामनगर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरूलिया।
67. 9 दिसम्बर 09, आसित मंडल (48), पार्टी सदस्य, डाक कर्मचारी (ईडी) बंदवान, कुमरा, राजौलीहट, पुरूलिया।
68. 9 दिसम्बर 09, मानिक महतो (50), कर्मचारी, मालाभूम ग्रामीण बैंक, सेबाओतान ब्रांच, पार्टी समर्थक, गांव–सेबाओतान, झाड़ग्राम ब्लाक, पश्चिम मेदिनीपुर।
69. 9 दिसम्बर 09, बिजय महतो, डीवाइएफआइ सदस्य, झाड़ग्राम, जिला कमेटी, पार्टी ब्रांच सदस्य, गांव–सेबाओतान, झाड़ग्राम ब्लाक, पश्चिम मेदिनीपुर।
70. 9 दिसम्बर 09, बृहस्पति महतो, खुदरा व्यवसायी, गांव–केउदी, पश्चिम मेदिनीपुर।
71. 9 दिसम्बर 09, रबी महतो, पार्टी सदस्य, सालगेरिया ब्रांच, ख्वारासोल साल्बोनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
72. 11 दिसम्बर 09, पंचानन महतो (47), बांच सदस्य, मासरू ब्रांच, मासुरा, साल्बनी, कासीजोरा, पश्चिम मेदिनीपुर।
73. 11 दिसम्बर 09, तिलक टुडू (21), छात्र नेता, जिला कमेटी सदस्य, एसएफआइ साल्बनी, जोनल कमेटी, कासीजोरा बोइचा, पश्चिम मेदिनीपुर।
74. 17 दिसम्बर 09, अनिल चालक (55), अध्यापक, श्यामसुंदरपुर, प्राइमरी स्कूल, बंदगारा, झाड़ग्राम ब्लाक, पश्चिम मेदिनीपुर।
75. 17 दिसम्बर 09, दयाल चालक (30), भूतपूर्व. प्रधान, बन्धगारा 2, ग्राम पंचायत, पार्टी सदस्य, बंधगारा, झाड़ग्राम ब्लाक, पश्चिम मेदिनीपुर।
76. 17 दिसम्बर 09, अमल पात्रा (46), अखिल भारतीय किसान सभा सदस्य, पार्टी सदस्य, बैटा, धरमपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
77. 19 दिसम्बर 09, ज्योति महतो (65), लोकल कमेटी सदस्य लोधासुई लोकल कमेटी, बालाद्दुबा झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।

78. 19 दिसम्बर 09, मानिक विद्या (45), पार्टी सदस्य, बालाद्दुबा झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।
79. 22 दिसम्बर 09, प्रबीर दंदापत (52), भूतपूर्व जिला परिषद सदस्य, जोनल कमेटी सदस्य, गोपीबल्लभपुर,–1, भूलाबेतदुआर, पश्चिम मेदिनीपुर।
80. 22 दिसम्बर 09, हाबलू पात्रा (36), पार्टी समर्थक, पीरकाटा, बीनपुर, पश्चिम मेदिनीपुर।
81. 25 दिसम्बर 09, रामेश्वर मुर्मू (45), प्रांतिक, कृषक सचिव, भुलागारा ब्रांच, गांव–भुलागारा, पी एस–बरीकुल, रानीबाघ, बांकुड़ा।
82. 27 दिसम्बर 09, अब्दुल हाई, अध्यक्ष जिला कालेज टीचिंग एम्लाईज, वीरभूम, लोकल कमेटी सदस्य, रामपुरहाट शहर लोकल कमेटी, रामपुरहाट, वीरभूम।
83. 28 दिसम्बर 09, कालीपाडा हेम्ब्राम (35), गरीब किसान, पार्टी सदस्य, बाग्दुबी, रानीबाग, बांकुड़ा।
84. 30 दिसम्बर 09, आनंद सिंह (51) खेत मजूर, पार्टी समर्थक, बालीचुआ, सिमुलिया बीनपुर–2, पश्चिम मेदिनीपुर।
85. 30 दिसम्बर 09, कुनाराम सिंह (35), पार्टी समर्थक, कुकिंग मसाला बेचने वाला बाजार बालीचुआ, सिमुलिया बीनपुर–2, पश्चिम मेदिनीपुर।
86. 1 जनवरी 10, भागबत सिंह (40), जिला परिषद सदस्य, नयाग्राम, लोकल कमेटी सदस्य, कमलपुकुरिया लोकल कमेटी, नयाग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।
87. 2 जनवरी 10, हितेश्वर सिंह (35), पार्टी सदस्य, अखिल भारतीय किसान सभा अंचल सचिव, श्यामनगर बेलपाहाणी, पश्चिम मेदिनीपुर।
88. 2 जनवरी 10, अनाथ सिंह (30), पार्टी समर्थक खेतमजदूर, श्यामनगर बेलपाहाणी, पश्चिम मेदिनीपुर।
89. 3 जनवरी 10, हेकिम मूरा (33), अखिल भारतीय किसान सभा नेता, पार्टी ब्रांच सचिव, धेकिया बनस्पहाणी बेलपाहाणी, पश्चिम मेदिनीपुर।
90. 3 जनवरी 10, बापी काकाली (28), पार्टी समर्थक, पीरकाटा साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।
91. 6 जनवरी 10, हारेन बास्के, जोनल कमेटी सदस्य, डीवाइएफआइ रानीबाध जोनल कमेटी, जोनल कमेटी सदस्य सीपीआइ(एम) रानीबाध, गरीब प्रांतिक कृषक, सुरतोरी, राउतोरा, रानीबाध, बांकुड़ा।

92. 10 जनवरी 10, धोनू राजाक (43), भूतपूर्व अध्यक्ष बंदवान पीएस अध्यक्ष डीवाइएफआइ बंदवान जोनल कमेटी, पार्टी लोकल कमेटी सदस्य, धधका, बंदवान, पुरूलिया।

93. 10 जनवरी 10, विश्वनाथ दत्त (60), प्रांतिक कृषक, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, जाम्बोनी सिमलोपाल, बांकुड़ा।

94. 21 जनवरी 10, महादेव बउरी (37), पार्टी समर्थक, सीआइटीयू सदस्य, मामूदपुर खोरासोल, वीरभूम।

95. 21 जनवरी 10, प्रथम बउरी (28), पार्टी समर्थक, सीआइटीयू सदस्य, मामूदपुर खोरासोल, वीरभूम।

96. 23 जनवरी 10, रवि दास, किसान सभा कार्यकर्ता, पोरागचा भातजोंगला दासपारा, नादिया।

97. 24 जनवरी 10, गुहीराम सिंह (40), लोकल कमेटी सदस्य चंदाबिला भूतपूर्व सचिव एबीपीटीए नयाग्राम–1, सर्किल एबीपीटीए नेता, कादोकोथा चंदाबिला नयाग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर।

98. 24 जनवरी 10, श्यामापदा राना (75), सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता, देउलकुण्डा कासीजोरा साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।

99. 27 जनवरी 10, रंजीत हेमब्राम, जोनल कमेटी सदस्य, सारेंगा जोनल कमेटी, भूतपूर्व सह–सभापति सारेंगा पंचायत समिति, कोयमा खेपारदंगा, सारेंगा, बांकुड़ा।

100. 29 जनवरी 10, जगन्नाथ महतो (40), पार्टी कार्यकर्ता, धान्यासोल साल्बनी, पश्चिम मेदिनीपुर।

101. 30 जनवरी 10, फजलुल सेख (55), जोनल कमेटी सदस्य, लाभपुर जोनल कमेटी, सीआइटीयू जिला कमेटी सदस्य, लाभपुर काजीपारा, वीरभूम।

102. 30 जनवरी 10, फांडू शेख, जोनल कमेटी सदस्य, लाभपुर जिला कमेटी, सीआइटीयू जिला कमेटी सदस्य, लाभपुर काजीपारा, वीरभूम।

103. 31 जनवरी 10, अतुल सिंह सरदार (35), पार्टी कार्यकर्ता, गोदीगाटी भूलावेडा बेलपहाड़ी, पश्चिम मेदिनीपुर।

माओवादी हिंसा को ठुकराओ

15 अगस्त, 2009 को माओवादियों और तृणमूल कांग्रेस के गिरोह ने बांकुड़ा के सालुका गांव में सी.पी.आई.(एम) कार्यकर्ता का. रामाकृष्ण दुले की हत्या कर दी। कामरेड दुले को इसलिए मारा गया क्योंकि वह गरीबों के लिए लड़ता था।

सी पी आई (एम) प्रकाशन

18 मई 2009 को तृणमूल कांग्रेस-माओवादी गिरोह द्वारा हावड़ा जिले के शोलाभागा इलाके में गरीब ग्रामीणों की जलाई गई झोंपड़ियां और उनका बिलखता परिवार

एक स्कूल अध्यापक कामरेड मुर्मू का शव जिनकी माओवादियों और तृणमूल कांग्रेस के गिरोह ने 8 सितंबर 2009 को सारेंगा, बांकुड़ा में हत्या कर दी थी।

फरवरी 2010 **मूल्य:** 3@&

भारत की कज़्युनिस्ट पार्टी (मार्ज़्सवादी) के लिए हरि सिंह कांग द्वारा ए के गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित (22582847)